



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-23052022-235963  
CG-WB-E-23052022-235963

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2239]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 23, 2022/ज्येष्ठ 2, 1944

No. 2239]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 23, 2022/JYAISHTHA 2, 1944

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कोलकाता, 19 मई, 2022

का.आ. 2359(अ).—यह अधोहस्ताक्षरी द्वारा पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के अनुच्छेद 3(3) के अधीन जारी वर्ष 2021-22 सीजन के लिए कच्चे पटसन के यथोचित मूल्य की घोषणा करने वाली इस कार्यालय की अधिसूचना सं. एस.ओ. सं. 4054(ई) दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के संदर्भ में है।

कच्चे पटसन की उपलब्धता से संबंधित बाजार की वर्तमान परिस्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण तथा उस पर विचार करने के उपरांत, में एतद्वारा दिनांक 20.05.2022 से उपर्युक्त अधिसूचना एस.ओ. सं. 4054(ई) दिनांक 30 सितम्बर, 2021 को वापस लेता हूँ।

[फा. सं. जूट(मार्केटिंग)/139/2021(1)]

मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त

**MINISTRY OF TEXTILES**  
**(Office of the Jute Commissioner)**

**NOTIFICATION**

Kolkata, the 19th May, 2022

**S.O. 2359(E).**—This has reference to this office Notification S.O. No. 4054(E) dated 30th September, 2021 declaring the Reasonable Price for Raw Jute for 2021-22 season issued under Clause 3(3) of the Jute and Jute Textiles Control order, 2016 by the undersigned.

After careful analysis and considering the present market scenario of raw jute availability, I hereby withdraw the said Notification S.O. No. 4054(E) dated 30th September, 2021 with effect from 20-05-2022.

[F. No. Jute(Mktg)/139/2021(1)]

MOLOY CHANDAN CHAKRABORTTY, Jute Commissioner